

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 10/2022- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई, 2022

सा.का.नि. (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 16 की उप धारा (1) के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के खंड (iv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 02/2022- एकीकृत कर (दर), दिनांक 31 मार्च, 2022, जिसे सा.का.नि. 239(अ), दिनांक 31 मार्च, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि " फ्लाई ऐश ईटें; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॉक " को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

[फाइल संख्या 190354/172/2022-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानेरे)
अवर सचिव भारत सरकार